

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी-संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/49

अपील संख्या 60/2025

तारीख रजू 10.02.2025

सगीर पुत्र नन्ने खां मुसलमान निवासी ग्राम जैतपुर, तहसील खण्डार ।

--- अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार ।

--- रेस्पोंडेन्ट

उपस्थिति -

श्री जगन्नाथ चौधरी एडवोकेट

- अपीलार्थी

पेरोकार राजस्व

- रेस्पोंडेन्ट

निर्णय

दिनांक 08.09.2025

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 37/2020 में पारित आदेश दिनांक 07.09.2020 के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम जैतपुर के आराजी खसरा नम्बर 228/194 रकबा 02.00 बीघा किस्म बरानी 02 पर जिन्स मिर्च कर संवत् 2077 में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने का कर्ता मानकर अतिक्रमणित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए तीन माह (90 दिवस) के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलार्थी निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलार्थी आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर "आर.आर.डी. 1979 का पृष्ठ संख्या 559, राधेश्याम बनाम राजस्थान राज्य" का हवाला देकर बहस में कथन किया कि प्रकरण में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है। अदालत मातहत का निर्णय विरुद्ध रिकार्ड एवं कानून के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अदालत मातहत ने अपीलान्त को बिना सुने हुये व बिना जवाबदेई का मौका दिये हुये विवादित आदेश दिनांक 07.09.2020 पारित कर एवं प्रार्थी अपीलान्त को दण्डित कर भारी कानूनी भूल की है इसलिये उक्त विवादित आदेश दिनांक 07.09.2020 निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि अपीलान्त को नोटिस नहीं मिला ना ही अपीलान्त की तामील कुनिन्दा ने प्रोपर तरीके से तामील करवायी तथा मनमाने तरीके से रिपोर्ट कर नोटिस अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया। उक्त नोटिस की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विवादित आदेश अपीलान्त को बिना सुने हुये पारित कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। यह कि प्रार्थी अपीलान्त का उक्त आराजी ख0नं0 228/194 रकबा 2.00 बीघा किस्म बरानी 02 पर जिन्स



24
अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

मिच कर सम्बत् 2077 में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लिया उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का ने बिलकुल गलत एवं निराधार तथ्यों पर बिना मौका पर गये हुये तथा मौके पर बिना साक्ष्यो के बयान लिये हुये अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये दण्डित कर भारी कानूनी भूल की है इसलिये उक्त विवादित निर्णय निरस्त होने योग्य है जबकि उक्त आराजी से अपीलान्ट का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए परोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलार्थी निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलार्थी निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह प्रतीत होता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की तामील हुई है। अपीलार्थी बाद तामील जानबूझ कर नियत दिनांक 07.09.2020 को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का समुचित अवसर दिया गया है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय जिसमें भौतिक रूप से अपीलार्थी को बेदखल किया गया हो इस संबंध में कोई दस्तावेज व पूर्व के किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी रिपोर्ट, नोटिस फर्द नीलामी व अन्य दस्तावेज संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में पश्चातवर्ती के सबूत पत्रावली में संलग्न नहीं होने के कथन से मैं सहमत हूँ। मेरी राय में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति का आदेश यथावत रखा जाता है तथा सिविल कारावास के बिन्दु पर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि अपीलान्ट अतिचारी अदालत मातहत के समक्ष इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दे कि वर्तमान में विवादित भूमि पर उसका कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त शपथ-पत्र का अदालत मातहत द्वारा पटवारी हल्का से भौतिक सत्यापन कराने पर यदि अतिचारी का अतिक्रमण नहीं पाया जाता है तो अपीलान्ट को दी गयी सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त समझा जावें। यदि भौतिक सत्यापन में अतिक्रमण पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड बहाल रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर